# ***राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।***

**नजरसानी / अपील डिक्री / टी.ए. / 2003 / 198 / चूरू.**

1— मालसिंह पुत्र श्री मेघ सिंह,
2— रामसिंह पुत्र श्री मालसिंह
सभी जाति राजपूत निवासी ग्राम नोसरिया तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू (राज.)

.....**प्रार्थीगण**

***बनाम***

1— खगसिंह पुत्र धन्नेसिंह,
2— जालूसिंह पुत्र धन्नेसिंह,
3— रेवन्त सिंह पुत्र धन्नेसिंह,
4— सुमेर सिंह पुत्र धन्नेसिंह,
5— श्रीमति बन्ने बेवा धन्नेसिंह,
समस्त जाति राजपूत निवासीगण नोसरिया तहसील श्री डूंगरगढ़ जिला चुरू (राज.)

.....**अप्रार्थीगण**

**खण्ड—पीठ**
**श्री केसर लाल मीणा, सदस्य**
**डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य**

———

**उपस्थिति :—**
श्री डूंगरसिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री के. के. पुरोहित, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

———

**निर्णय**

**दिनांक :— 09 / 03 / 2026.**

**1—** हस्तगत नजरसानी याचिका अन्तर्गत धारा—229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की विद्वान खण्ड पीठ द्वारा अपील / डिक्री / 223 / 1998 / चुरू बउनवान मालसिंह व अन्य बनाम खगसिंह व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03—10—2002 के विरूद्ध पेश की गई है।

**2—** नजरसानी याचिका के अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या—1 से 4 ने विरूद्ध प्रार्थीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ़ के समक्ष राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 59 रकबा 86 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम नोसरिया के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त खेत के उत्तरादी ओर प्रार्थीगण मालसिंह

वगैरह का खेत खसरा नम्बर 58 स्थित है। अप्रार्थीगण के अनुसार खसरा नम्बर 59 की उतरादी सीमा सीधी है तथा उस पर प्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती कब्जा करना बताया।

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का खेत खसरा साबिक नम्बर 67 से बना है जिसके नये खसरा नम्बर 58 बने हैं जिसकी दक्षिणी सींव घुमावदार थी एवं आज भी मौके पर सींव घुमावदार ही है। संवत 2016 की पैमाइश में भू प्रबन्ध अधिकारियों ने पुराने खसरा नम्बर 67 को नया खसरा नम्बर 58 अंकित करते हुये दक्षिणी सींव सीधी दर्शा दी है जो अवैध है।

विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रतनगढ़ ने वादपत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुए एवं उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनकर अप्रार्थीगण के वादपत्र को निर्णय दिनांक 07–02–1998 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील को निर्णय दिनांक 29–05–1998 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण वादीगण का दावा डिक्री कर स्थाई निषेधाज्ञा पारित कर दी गई, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील संख्या 223/98 मण्डल में पेश किये जाने पर मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 03–10–2002 से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह नजरसानी याचिका मण्डल में पेश की गई है।

**3–** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को हस्तगत नजरसानी याचिका के गुणावगुण पर सुना गया।

**4–** विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने नजरसानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नजरसानीधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03–10–2002 न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रार्थीगण ने ग्राम नोसरिया के खसरा नम्बर 59 की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण द्वारा दबाई गई है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी ने वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी/वादीगण का कब्जा काश्त नहीं मानकर अप्रार्थीगण का दावा खारिज कर दिया था, फिर भी माननीय न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण/वादीगण का कब्जा नहीं होते हुये भी स्थाई निषेधाज्ञा का दावा डिक्री करने में कानूनी भूल की है, जो error apparent on the face of record है। माननीय न्यायालय ने नायब तहसीलदार की रिपोर्ट प्रदर्श–8 को ठीक तरह से पढ़े व समझे बिना ही आदेश पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। उक्त रिपोर्ट प्रदर्श–8 के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा होने का स्पष्ट उल्लेख है। उनका यह भी कथन रहा है कि माननीय न्यायालय ने यह देखने में भी गंभीर भूल की है कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 59 के खातेदार काश्तकार हैं एवं प्रार्थीगण खसरा नम्बर 58 के खातेदार काश्तकार हैं जिनका सीमा पर विवाद है एवं अप्रार्थीगण को सीमाज्ञान की कार्यवाही

करने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो गया था कि अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 59 की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसको बेदखल करने हेतु अप्रार्थीगण ने कोई दावा प्रार्थीगण के विरूद्ध नहीं किया है। इस प्रकार स्थाई निषेधाज्ञा बाबत जो निर्णय पारित किया है वह काबिले निरस्त है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह नजरसानी याचिका स्वीकार की जाकर पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03–10–2002 को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

**5–** विरोध में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन रहा है कि माननीय न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय दिनांक 03–10–2002 में प्रथम दृष्टया पृष्ठ पर दिखने वाली कोई त्रुटि नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नजरसानी को अपील के जैसे नहीं सुना जा सकता एवं नजरसानी कार्यवाही प्रकरण की मूल सुनवाई के समतुल्य नहीं हो सकती है। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत याचिका के माध्यम से पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर रिव्यू चाहा है, जिनका निस्तारण अपील के स्तर पर हो चुका है। गौरतलब है कि गलत निर्णय को नजरसानी अधिकारिता के अन्तर्गत सहीं नहीं किया जा सकता है एवं ना ही नजरसानी याचिका के माध्यम से अपील की भांति अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है एवं ना ही दोषपूर्ण मत को सही किया जा सकता है। अतएव प्रस्तुत नजरसानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाये।

**6–** उभय पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया।

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–229 के अनुसार :–** बोर्ड और अन्य राजस्व न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन किये जाने की शक्ति–सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के उपबंधों के अध्यधीन–

(1) बोर्ड अपनी स्वप्रेरणा से या वाद अथवा कार्यवाही के पक्षकारों के आवेदन पर स्वयं द्वारा या उसके सदस्यों में से किसी के द्वारा की गई डिक्री या किये गये आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसे विखण्डित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा, और

(2) बोर्ड से भिन्न प्रत्येक राजस्व न्यायालय, ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की गई डिक्री, आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन करने के लिये सक्षम होगा।

धारा–229 के अनुसार न्यायालय द्वारा अपनी डिक्री या आदेश का पुनर्विलोकन सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अध्यधीन ही किया जा सकेगा। धारा–229 के प्रारंभिक खण्ड में इसका उल्लेख किया गया है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–47 के नियम व धारा–229 के अधीन पुनर्विलोकन पर संपूर्ण शक्ति सहित लागू होते हैं।

**सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–47 के अनुसार** किसी निर्णय, डिक्री या आदेश का पुनर्विलोकन निम्न आधारों पर किया जा सकता है–

(1) जब किसी नये और महत्वपूर्ण साक्ष्य का पता चले अर्थात् कोई नये तथ्य प्रकाश में आवे, जो डिक्री या आदेश पारित करने के समय–

(क) उचित प्रयास करने के बावजूद उसके ज्ञान में नहीं था, या

(ख) उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था, या

(2) किसी भूल या गलती के कारण, जो अभिलेख के मुख पर प्रकट होती हो,

(3) किसी अन्य पर्याप्त कारण से।

**7–** पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से राजस्व मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ द्वारा अपील संख्या 223/1998/चुरू बउनवान मालसिंह वगैरह बनाम खगसिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03–10–2002 के पुनर्विलोकन हेतु मुख्य आधार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 59 की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने से बिना कब्जे के स्थायी निषेधाज्ञा का वाद डिक्री किये जाने में विधिक त्रुटि कारित किया जाना बताया गया है। पत्रावली पर यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खसरा संख्या 59 के खातेदार काश्तकार हैं एवं प्रार्थीगण खसरा संख्या 58 के खातेदार काश्तकार है। उभय पक्ष के मध्य वाद मूलतः सीमा विवाद से संबंधित है तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 58 व 59 के बीच की सीमा रेखा को खिसका कर अप्रार्थी/वादी के खसरा संख्या 59 की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण व हस्तक्षेप किये जाने के फलस्वरूप मण्डल की विद्वान खण्ड पीठ ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा सारवान रूप से इस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र के माध्यम से मूल अपील में विनिश्चित किए जा चुके बिन्दुओं को ही उठाया गया है, जबकि पुनर्विलोकन की अधिकारिता का उपयोग केवल apparent error को ठीक करने अथवा प्रक्रिया के घोर दुरूपयोग (gross abuse of process) को रोकने की हद तक ही किया जा सकता है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई विशिष्ट तथ्य स्पष्ट नहीं किये गये हैं जो कि प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर दिखाई देने वाली त्रुटि की श्रेणी में आते हो।

**8–** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ–455 ''श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी'' में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :–

"Review- 'Error apparent on face of record' - Means an error which strikes on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions."

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005 (1) RRT 545 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

"A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ 290 में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

"In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clear distinction between 'an erroneous decision' and 'an error

apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise."

**9–** इस प्रकार पुनर्विलोकन बाबत समय–समय पर उच्चतर न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। पुनर्विलोकन द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है, अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

**10–** उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि विद्वान खंडपीठ ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अध्ययन करने के पश्चात आलोच्य आदेश पारित किया है, जिस पर अवलोकन से इसमें किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई जाहिरा त्रुटि दर्शित करने में सफल नहीं हो पाये, जिससे यह प्रकट होता है कि सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी वह उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नही किया जा सकता था या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख के देखने से प्रकट होती हो। वैकल्पिक रूप से यह भी स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही पुनर्विलोकन का आधार हो सकती है अन्यथा ऐसा निर्णय पुनर्विलोकन के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि विद्वान खंड पीठ द्वारा पारित आदेश गलत (erroneous) है तो गलत निर्णय को भी पुनर्विलोकन का आधार नही बनाया जा सकता है। निर्णय में स्पष्टतः प्रक्रिया के घोर दुरूपयोग की स्थिति भी नहीं है। यदि प्रार्थीगण उक्त आदेश से व्यथित है तो पुनर्विलोकन के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य उपचार की तलाश करना चाहिये। पुनर्विलोकन एक और अपील का विकल्प अथवा माध्यम नहीं हो सकती। अतएव उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

**11–** परिणामतः हस्तगत पुनर्विलोकन याचिका अंतर्गत धारा–229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जाये। अधिवक्ता उभय पक्षो को जरिये कम्प्यूटर सूचना दी जाकर पत्रावाली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)**
**सदस्य**

**(केसर लाल मीणा)**
**सदस्य**